# चित्रकूट पुलिस

**(1).** "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

**(2).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका हेमा पत्नी पिन्टू ने अपने पति,सास,ससुर व देवर के विरूद्ध लड़ाई झगड़ा,दहेज की मांग करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र महिला आरक्षी अनामिका सिंह व पुलिस काउंसलर डॉ0 सुरेशचन्द्र जायसवाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

**समझौता कराने वाली टीमः-**

1.पुलिस काउसंलर डॉ0 सुरेशचन्द्र जायसवाल

2.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

**(3).** पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभय राज सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 16.09.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 538/2012 धारा 147,148,149,323,325,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.छोटेलाल 2.ननकोली उर्फ कामता पुत्रगण सहादेव 3.गिलपुर उर्फ जागेश्वर प्रसाद पुत्र महराजदीन 4.ओमप्रकाश पुत्र साधूराम 5.लवकुश उर्फ कल्लू पुत्र अशोक 6.मुन्नीलाल पुत्र बाबूलाल यादव निवासीगण रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 4500/-4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 19.10.2012 को वादी आशीष कुमार पुत्र दीनदयाल निवासी रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगण 1.छोटेलाल 2.ननकोली उर्फ कामता पुत्रगण सहादेव 3.गिलपुर उर्फ जागेश्वर प्रसाद पुत्र महराजदीन 4.ओमप्रकाश पुत्र साधूराम 5.लवकुश उर्फ कल्लू पुत्र अशोक 6.मुन्नीलाल पुत्र बाबूलाल यादव निवासीगण रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा एक राय होकर लाठी,डण्डा एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर मारपीट,गाली गलौज करना जिससे चाचा उदयभान एवं बिन्दा प्रसाद गम्भीर रूप से घायल हो जाना। इस सूचना पर थाना कोत0 कर्वी में मु0अ0सं0 538/2012 धारा 147,148,149,323,325,504 भादवि0 बनाम 1.छोटेलाल 2.ननकोली उर्फ कामता पुत्रगण सहादेव 3.गिलपुर उर्फ जागेश्वर प्रसाद पुत्र महराजदीन 4.ओमप्रकाश पुत्र साधूराम 5.लवकुश उर्फ कल्लू पुत्र अशोक 6.मुन्नीलाल पुत्र बाबूलाल यादव निवासीगण रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री गुलाब प्रसाद मिश्रा द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में दिनाँक 23.01.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(3).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभय राज सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 16.09.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 538ए/2012 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.आशीष कुमार यादव पुत्र दीनदयाल 2.दीनदयाल यादव 3.बिन्दा प्रसाद 4.उदयभान पुत्रगण रामपाल निवासीगण रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 3500/-3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>**

दिनांक 19.10.2012 को वादी लवकुश उर्फ कल्लू पुत्र अशोक कुमार निवासी रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगण 1.आशीष कुमार यादव पुत्र दीनदयाल 2.दीनदयाल यादव 3.बिन्दा प्रसाद 4.उदयभान पुत्रगण रामपाल निवासीगण रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना । इस सूचना पर थाना कोत0 कर्वी में मु0अ0सं0 538ए/2012 धारा 323,504,506 भादवि0 बनाम 1.आशीष कुमार यादव पुत्र दीनदयाल 2.दीनदयाल यादव 3.बिन्दा प्रसाद 4.उदयभान पुत्रगण रामपाल निवासीगण रेहुटिया थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री गुलाब प्रसाद मिश्रा द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय में दिनाँक 23.01.2013 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(4).आज दिनांक 16.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय द्वारा थाना मानिकपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना एवं हवालात का निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना अभिलेखों एवं रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए उन्हें अद्यावधिक रखने हेतु निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने, लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने,वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने तथा रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराध के प्रति आमजन को जागरूक करने हेतु निरंतर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। थाना परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था, विद्युत, पेयजल एवं शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त एवं सुव्यवस्थित रखने हेतु भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों को जनता के साथ शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार रखते हुए कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को प्रभावी बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया।